कठपुतली कॉलोनी के लोगों को राहत नहीं

■ **प्रस, हाई कोर्ट :** दिल्ली हाई कोर्ट ने कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले उन लोगों को राहत देने से मना कर दिया जिन्हें वहां से हटाकर आनंद पर्वत इलाके के ट्रांजिट कैंप में भेजा जा रहा है। इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने कॉलोनी के विकास प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से मना कर दिया। इससे पहले डीडीए ने हाई कोर्ट को बताया कि जो लोग पुनर्वास के तहत फ्लैट के लिए पात्रता रखते हैं उनका नाम जारी कर दिया गया है। इस पर हाई कोर्ट ने कॉलोनी में रहने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वह अपना रिप्रजेंटेशन लेकर डीडीए के सामने जा सकते हैं। डीडीए के एडवोकेट राजीव बंसल ने अदालत को बताया कि 2641 रेजिडेंट्स की पहचान की गई है और उन्हें पुनर्वास के तहत नए फ्लैट दिए जाएंगे। इसके लिए कॉलोनी में 8 टावर बनाए जाएंगे और यह आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को दिया जाएगा।